



मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय – कार्यपालक निदेशक (मा.संसा.एवं प्रशा.)

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482 008

फोन- 0761-2702615

फैक्स- 0761-2665805

ई-मेल – mppgcl@mp.nic.in

सिन-U40109MP2001SGC014882

वेबसाईट-www.mppgenco.nic.in

क्रमांक-का.नि.(मा.सं.एवंप्र.)/मप्रपाजकंलि/उ.स.-एक/1699 जबलपुर, दिनांक 05.05.2017

आदेश

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के आदेश क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवंप्र.)/मप्रपाजकंलि/उ.स.-एक/875-76 दिनांक 03.03.2017 के अनुसार म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् के सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय पेंशन एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर 132 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत स्वीकृत की गई थी ।

02. म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक एफ-9-6/2016/नियम/चार दिनांक 11.04.2017 के अनुरूप एवं कंपनी के आदेश क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्रशा.)/मप्रपाजनकंलि/उ.स.-एक/875-76 दिनांक 03.03.2017 के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के उपरोक्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को माह जुलाई-2016 से नवम्बर-2016 तक की अवधि की महँगाई राहत (दर 132 प्रतिशत के अनुसार) की बकाया (एरियर) राशि का भुगतान माह मई-2017 की देय पेंशन के साथ एकमुश्त नगद किया जावे ।

03. पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (Before Commutation) की पेंशन पर होगी ।

04. महँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा ।

आदेशानुसार,

(डी.एन. राम)

कार्यपालक निदेशक(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर


(क्रमशः-2)

क्रमांक-का.नि.(मा.सं.एवंप्र.)/मप्रपाजकलि/उ.स.-एक/1700 जबलपुर, दिनांक 05.05.2017

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल ।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता-(संचा.संधा.-उत्पा)/ (ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी)/ (सिविल- अभियांत्रिकी)/ (सी.एस.)/ (संचा.संधा.-जलविद्युत)/ (सामग्री प्रबंधन)/ (नवीनी.एवं आधुनिकी.)/ (परि.-उत्पा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
3. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), अताविग /संगांताविग/सताविग/ श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/ बिरसिंहपुर/ सारनी/ खण्डवा ।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
5. कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसा एवं प्र), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि/ म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर ।
6. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
8. अति.मुख्य अभि. (उत्पा.-भंडार)/ (टीएचसी), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर/ सिरमौर ।
9. अति.महाप्रबंधक (मानव संसाधन), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या., रायपुर ।
10. कार्यपालक सहायक सम्बद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., भोपाल ।
11. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/ (संचा.संधा.), राअबासा/पेंच/राजघाट/गांधी सागर/ बाण सागर-दो/तीन/चार/मडीखेड़ा जविग, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., बरगी नगर/ तोतलाडोह/चंदेरी /गांधी सागर/सिलपरा/देवलौंद/झिन्ना/शिवपुरी ।
12. अधीक्षण अभियंता (सिविल) हॉयडल मेन्टेनेंस-सर्वे एवं अन्वे., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
13. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस)/अताविग/संगांताविग/सताविग/ श्रीसिंगाजी ताविपरि./टॉस जविग, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर/चचाई/ बिरसिंहपुर/ सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
14. स्टाफ आफिसर/निज सहायक-संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/ (वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि., जबलपुर ।
15. सहायक अभियंता (आई.टी.-वेबसाइट प्रभारी), कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर - कंपनी वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु ।
16. पेंशन शाखा, कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
17. आदेश नस्ती ।

-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(एस.के. देशपाण्डे)

संयुक्त सचिव

कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर